

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत  
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी  
श्री एच.के.पाण्डेय कार्यपालक निदेशक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. -0771-2574700

अपील प्रकरण क्रमांक

श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी  
एच.आई.जी.-1/679  
सेक्टर-29 अटल नगर  
रायपुर (छ.ग.)  
पिन- 492002

O/o CE (EITC)	02/2020 दिनांक 06.02.2020
Receipt No. 211	
Date 15 MAY 2020	अपीलार्थी
DGM (IT) / SE (O)	
EE. web	
Section	

विरुद्ध

श्री के.एस.भारती  
जनसूचना अधिकारी  
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-दो  
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,  
डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

--: आदेश :-

(दिनांक 14/05/2020 को पारित)

अपीलार्थी श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी रायपुर की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)-दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 02/2020 दिनांक 06.02.2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी के द्वारा आवेदन दिनांक 09.12.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्न जानकारी / दस्तावेज चाही गई है :-

**Attested Photo copy of documents regarding creation of Parivedna Samitti along with details of Parivedna Samitti members, case files/applications put before Parivedna Samitti and action taken for all applications put before Parivedna Samitti,**

(3) अपील सूचना पत्र क्रमांक 08 दिनांक 19.02.2020 के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई दिनांक 04.03.2020 को सांय 4.00 बजे कक्ष क्रमांक जी -09 में निर्धारित कर, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

*[Handwritten Signature]*

निर्धारित तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (Deem Public Information Officer) उपस्थित हुए। अतएव प्रकरण में गुण दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(5) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (Deem Public Information Officer) द्वारा सुनवाई तिथि को मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंडिका 02/-टीप में आवेदक द्वारा Parivedna Samitti के creation से संबंधित जानकारी/दस्तावेज चाही गई है। उक्त जानकारी उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-एक (होलिडिंग कंपनी) के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में संबंधित प्रभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)-(ज) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। उक्ताशय के वस्तुस्थिति से आवेदक श्री बाजपेयी को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 52 दिनांक 04.01.2020 के माध्यम से अवगत करायी गई है।

(6) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का अपील आवेदन तर्क कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से वह संतुष्ट नहीं है।

(iii) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (Deem Public Information Officer) का तर्क कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है। जिसमें किसी प्रकार की लोकहित सन्निहित नहीं है। अतः धारा 8 (1)-(ज) में निहित तथ्यों के अंतर्गत व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित सन्निहित ना हो, जानकारी प्रकट नहीं किया जाना है।

(7) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 05/-टीप में जनसूचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः न्यायसंगत परिलक्षित होता है। क्योंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज में व्यक्तिगत जानकारी सम्मिलित है, जिसे प्रकट किया जाना उचित नहीं है। ऐसे मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत यह होना चाहिए कि यदि चाही गई जानकारी में लोकहित या लोक क्रियाकलाप शामिल नहीं है तो जानकारी को प्रकट किये जाने हेतु लोकप्राधिकारी बाध्य नहीं है।

कंडिका 05/-टीप के अंतर्गत प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित जानकारी/दस्तावेज धारा 8 (1)-(ज) में निहित तथ्यों के अंतर्गत उपलब्ध नहीं करायी गई है, जो नियमानुसार सही है। क्योंकि उक्त जानकारी में किसी प्रकार की लोकहित दर्शित नहीं होता है। तथापि इस तरह के अभिलेख के प्रकटन से किसी व्यक्ति विशेष की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण पड़ने का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है।

लेख है कि छ0 ग0 राज्य में नोबल कोरोना वायरस (COVID -19) के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक निरंतर लॉकडाउन की स्थिति थी। दिनांक 03.05.2020 से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति कार्यालय में 30 से 50% तक होने से दैनंदिनी व समय-सीमा प्रकरण संबंधी कार्य प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार से संबंधित प्रथम अपील प्रकरण में कार्यवाही समय-सीमा में नहीं की जा सकी है।

परिणामतः प्रकरण में जनसूचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही स्वीकार योग्य है।  
जिस पर किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 02/2020  
दिनांक 06.02.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।



(एच.के.पाण्डेय) 14/5/2020

अपीलीय अधिकारी  
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)  
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर  
दूरभाष क्रमांक -0771-2574700

क्रमांक :- 01-02/अपील प्रकरण -02/2020/20

रायपुर, दिनांक 14/05/2020

प्रतिलिपि :-

- (1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)-दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी एच.आई.जी.-1/679 सेक्टर-29, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) पिन- 492002 को सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर -उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

पता :- सचिव,

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग  
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक  
अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)  
पिन - 492002



(एच.के.पाण्डेय) 14/5/2020

अपीलीय अधिकारी  
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)  
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर  
दूरभाष क्रमांक -0771-2574700